**विज्ञान नगरी**

**(राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्)**

**जे॰बी॰एस हल्डेन एवेन्यू, कोलकाता -700046॰**

****

**विज्ञान नगरी, कोलकाता के सभा केन्द्र (कन्वेंशन सेन्टर) सुविधाओं/ अनावृत प्रदर्शनी स्थल के उपयोग संबंधी**

**संविदा नियम व शर्तें**

**विज्ञान नगरी की सभा केन्द्र (कन्वेंशन सेन्टर) सुविधाओं के आबंटन का उद्देशय।**

विज्ञान नगरी के सभा केन्द्र (कन्वेंशन सेन्टर) के उपयोग की अनुमति सभी प्रकार केसम्मेलनों, निगमित निकायों की वार्षिक साधारण बैठकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्यापारिक प्रदर्शनियों, स्थानीय विद्यालयों के वार्षिक कार्यक्रमों एंव राज्य व केंद्र सरकारों तथा मीडिया चैनलों के विभिन्न समारोहों तथा अनुष्ठानों के आयोजन के लिए दी जाती है।

**नियम व शर्तें:-**

विज्ञान नगरी, कोलकाता में सभा केन्द्र (कन्वेंशन सेन्टर) सुविधाओं/ अनावृत प्रदर्शनी स्थल के उपयोग के लिए नियम व शर्तें।

**कृपया ध्यान दें:-** सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम की तिथि से पर्याप्त पहले **कोलकाता पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय),** के कार्यालय से ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ की प्राप्ति के उपरान्त ही बुकिंग की पुष्टि की जाएगी।

1. सभा केन्द्र/ अनावृत प्रदर्शनी स्थल के लिए निर्धारित सेवा एवं अनुरक्षण शुल्क एवं प्रतिभूति राशि के बुकिंग पत्र में निर्दिष्ट तिथि के भीतर, सम्पूर्ण भुगतान पर ही सभा केन्द्र/अनावृत प्रदर्शनी स्थल का उपयोग किया जा सकता हैं, बशर्ते वह भुगतान उस उद्देश्य से किया गया हो जिसके लिए उसे आरक्षित किया गया था।
2. सभा केन्द्र (कन्वेंशन सेन्टर) सुविधा में शामिल हैं भव्य थिएटर, लघु प्रेक्षागृह एवं आठ संगोष्ठी कक्ष एवं अनावृत प्रदर्शनी स्थल जिसका उपयोग केवल वैज्ञानिक, सांस्कृतिक एंव अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के द्वारा किया जा सकता है। बैठकों, विज्ञान, कला और संस्कृति संबंधी संगोष्ठियों, प्रेस सम्मेलन, कंपनी/वाणिज्यिक संगठनों या अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों की वार्षिक साधारण बैठकों के आयोजन, क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन, विभिन्न उत्पादों का शुभारंभ/बढ़ावा देने, कला प्रदर्शन से संबंधित कार्यक्रम अर्थात संगीत, नृत्य, ओपेरा, बैलेट, आरकेस्ट्रा, फिल्म, थिएटर, यात्रा, जादू शो, स्वांग आदि के लिए सभा (कन्वेंशन) केन्द्र की सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता हैं।
3. सभा (कन्वेंशन) केन्द्र विवाह, स्वागत समारोह, जन्म दिवस समारोह या ऐसे समान कार्यकलापों, या राजनैतिक सभाओं जैसे सामाजिक (निजी उपयोग) कार्यकर्मों के लिए उपलब्ध नहीं है। विज्ञान नगरी, कोलकाता के प्राधिकारी इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं कि वे किसी संगठन द्वारा सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति बिना कोई कारण बताए अस्वीकार या निरस्त कर सकते हैं।
4. सभा (कन्वेंशन) केन्द्र में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए **कोलकाता नगर निगम (के.एम.सी) के मनोरंजन कर कार्यालय एंव अन्य सांविधिक प्राधिकारयों जैसे इंडियन परफ़ौरर्मिंग राइट सोसाइटी, फोनोग्राफिक परफौरमेंस लिमिटेड** आदि से संबंधित पार्टी के द्वारा आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाएगी, जिसे कार्यक्रम आयोजन की तिथि से सात दिन पहले विज्ञान नगरी, कोलकाता को प्रस्तुत किया जाए एवं पार्टी के द्वारा इस तरह की सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करने के कारण हुई **किसी हानि, मुआवजे, क्षति की वजह से विज्ञान नगरी को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। अपेक्षित अनुमति आदि के प्राप्त न होने की स्थिति में विज्ञान नगरी बुकिंग के आबंटन को निरस्त करने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है और ऐसे मामले में विज्ञान नगरी में जमा किया गया अनुरक्षण व सेवा शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।**
5. सहभागियों/दर्शकों/आमंत्रितों का सभा (कन्वेंशन) केन्द्र सुविधा में प्रवेश इसकी अधिकतम क्षमता तक सीमित है। मुख्य प्रेक्षागृह, लघु प्रेक्षागृह एंव संगोष्ठी हॉल में बैठने की अधिकतम क्षमता क्रमशः 2232, 392 एंव 524 (सभी संगोष्ठी हॉल को मिलाकर) है।
6. आयोजकगण सभी कार्यक्रमों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेवार होंगे कि ऊपर उल्लिखित संख्या से अधिक होने पर किसी भी दर्शक को मुख्य प्रेक्षागृह एंव लघु प्रेक्षागृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा न होने पर विज्ञान नगरी के प्राधिकारी कार्यक्रम को जारी रखने/आरंभ करने की अनुमति नहीं देने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस प्रतिबंध का दर्शकों एंव प्रेक्षागृहों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए अत्यधिक सावधानी से पालन किया जाना है।
7. किसी भी प्रेक्षागृह एंव संगोष्ठी हॉल के भीतर खाद्य एंव पेय पदार्थों को ले जाने की अनुमति नहीं है। चाय/काफी/शीतल पेय/अल्पाहार केवल नजदीकी कियोस्क से या संगोष्ठी हॉल के पार्श्वकक्ष में ही ग्रहण किए जा सकते हैं। भोजन या ऊष्ण एंव शीतल पेय पदार्थों के प्रबंध/विक्रय की अनुमति केवल कुछ चिह्नित क्षेत्रों में ही दी जाती है। यहाँ मद्य निषेध है और विज्ञान नगरी परिसर (कैंपस) के भीतर शराब पिलाने या पीने की मनाही है।
8. प्रेक्षागृहों एंव संगोष्ठी हॉल के मंच पर आग जलाना या आग, धुआँ या उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को उत्पन्न करने वाले रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना पूर्णतः निषिद्ध है एंव मंच पर ऐसे प्रयोग के लिए किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा। तथापि, विज्ञान नगरी प्राधिकार ऐसे मामलों की समीक्षा करने के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. विज्ञान नगरी के सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित पूर्वानुमति के बिना सभा (कन्वेंशन) केन्द्र की रचना में पहले से उपलब्ध व्यवस्था के अतिरिक्त किसी लाइट फिटिंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि प्रणाली इत्यादि जैसी अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता पड़ने पर सभा (कन्वेंशन) केन्द्र बुकिंग कार्यालय से पहले से ही संपर्क किया जा सकता है, परंतु यह संपर्क सभा (कन्वेंशन) केन्द्र में कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिन पहले किया जाना चाहिए। प्रस्तावित संरक्षा व संरक्षण के साथ अतिरिक्त कार्यों को पूरा करने के लिए अभिकरणों को दिए गए कार्य आदेश की प्रतियाँ कम से कम तीन दिन पूर्व विज्ञान नगरी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
10. विज्ञान नगरी द्वारा इस उद्देश्य से परिनियोजित कार्मिक के अलावे अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा विज्ञान नगरी के किसी उपकरण, नियंत्रण प्रणाली आदि का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यदि किसी विशेष कार्यक्रम के लिए संबंधित संगठन के प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा प्रकाश या श्रव्य नियंत्रण प्रणाली का संचालन पूर्णतः अनिवार्य हो जाता है तो विज्ञान नगरी के सक्षम अधिकारी की अनुमति से इसकी अनुमति दी जा सकती है।
11. फर्नीचर, उपकरण, फिटिंग्स, प्रकाश/श्रव्य प्रणालियों, मंच आदि के दुष्प्रयोग के कारण हुई किसी हानि या क्षति की विज्ञान नगरी को पूर्णतः एंव वित्तीय रूप से भरपाई करनी होगी। विज्ञान नगरी की संपत्ति को हुई ऐसे क्षति/बरबादी का विज्ञान नगरी के अधिकारियों के द्वारा किया गया तकनीकी व वित्तीय मूल्यांकन, समारोह/कार्यक्रमों के आयोजकों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और हानि या क्षति के मामले में विज्ञान नगरी प्राधिकार की शर्तों के अनुसार हानि या क्षति की भरपाई करने के बाद प्रतिभूति जमा राशि लौटाई जाएगी।
12. आयोजकों को प्रेक्षागृहों/संगोष्ठी हॉल के उपयोग का अधिकार बुकिंग समय शुरू होने के आधे घंटे पहले दिया जाएगा एंव इसे बुकिंग समय की समाप्ति के आधे घंटे के भीतर निश्चित रूप से खाली कर दिया जाना चाहिए अन्यथा उचित दर से अतिरिक्त अवधि की प्रतिभूति जमा राशि से आनुपातिक सेवा व अनुरक्षण शुल्क काट लिया जाएगा।
13. अपने काम पर उपस्थित विज्ञान नगरी के प्राधिकृत कार्मिक की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना बुकिंग समय को बढ़या नहीं जा सकता। समारोह के दिन मुख्य प्रेक्षागृह, लघु प्रेक्षागृह एंव संगोष्ठी हॉल का, बुकिंग समय से अधिक समय तक उपयोग करने पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा जिसे प्रतिभूति जमा राशि से काट लिया जाएगा। तथापि, लाँजिस्टिक समस्याओं के कारण निर्धारित बुकिंग समय की समाप्ति से कम से कम एक घंटे पहले समय बढ़ाने की लिखित मांग किए बिना ऐसा करना संभव नहीं हो सकता।
14. बिजली आपूर्ति में किसी अप्रत्याशित व्यवधान, वातानुकूलन प्रणाली की विफलता या अन्य किसी उपकरण में उत्पन्न व्यवधान या विज्ञान नगरी के तर्कसंगत नियंत्रण से बाहर की सेवाओं की विफलता के कारण आयोजकों को सेवा शुल्क या किसी क्षतिपूर्ति या जो कुछ भी नुकसान हुए हैं, उनके संबंध में धनवापसी का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। **सी.ई.एस.सी की बिजली आपूर्ति में अस्थाई व्यवधान होने पर, केवल प्रकाश व्यवस्था एंव ध्वनिप्रणाली के प्रचालन हेतु स्थापित आपाती जेनरेटर के माध्यम से बिजली आपूर्ति को बहाल करने हेतु अधिकतम प्रयास किए जाएँगे। बिजली की कटौती या अतिरिक्त विद्युत व्यवधान की अवधि में कोई वातानुकूलन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।**
15. इस प्रयोजन के लिए चिह्नित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर बैनर/पोस्टर प्रदर्शित नहीं किए जा सकते। तथापि, यदि निश्चित किए गए स्थान से अलग अन्य स्थानों पर अतिरिक्त बैनरों, पोस्टरों, द्वारों/स्टैंडियों को प्रदर्शित/निर्मित किया जाना आवश्यक हो तो उनके लिए विज्ञान नगरी की अनुमोदित दरों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। **प्रदर्शन से यथेष्ट पूर्व विज्ञान नगरी के अधिकारियों के द्वारा ब्रांडिंग, बैनर, विज्ञापन सामग्रियों के विषय आदि का अनुमोदन अपेक्षित होगा। इसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान होने के कारण, विज्ञान नगरी परिसर के भीतर तंबाकू उत्पादों एंव सरोगेट विज्ञापन आदि सहित शराब की ब्रांडिग निषिद्ध है।**
16. मुख्य प्रेक्षागृह में सीट नं **D-23 से D-32** तक एंव लघु प्रेक्षागृह में **C-16 से C-20** केवल विज्ञान नगरी के लिए आरक्षित हैं।
17. सुरक्षा कारणों से प्रेक्षागृहों एंव संगोष्ठी हॉल के भीतर किसी भी सामान या खाद्य पदार्थ को ले जाने की अनुमति नहीं है।
18. प्लास्टिक व पॉलिथीन थैलों को सभा (कन्वेंशन) केन्द्र के अंदर प्रयोग में लाना सर्वथा निषिद्ध है और प्रदर्शन (शो) के टिकट/आमंत्रण कार्ड पर इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।
19. समय और तिथि की उपलब्धता की शर्त पर स्थगन/पूर्वन अर्थात बुकिंग की तिथि में परिवर्तन की अनुमति **केवल उसी सुविधा के लिए बिना किसी शुल्क के सिर्फ एक अवसर पर ही दी जाएगी, बशर्ते स्थगन का यह अनुरोध बुकिंग की तिथि कम से कम 30 दिन पूर्व प्राप्त किया गया हो।** तथापि, यदि यह एकाधिक अवसर पर होता है तो पिछली बुकिंग को निरस्त कर दिया जाएगा एंव नई तिथि को नई बुकिंग के रूप में माना जाएगा एंव **यथाप्रयोज्य निरस्तीकरण शुल्क लगाया जाएगा।**
20. सेवा एंव अनुरक्षण शुल्क के अग्रिम भुगतान के बाद सभा (कन्वेंशन) केन्द्र सुविधाओं/अनावृत प्रदर्शनी स्थल की पक्की बुकिंग के निरस्तीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार विज्ञान नगरी के द्वारा निरस्तीकरण शुल्क की कटौती करने के बाद संबंधित व्यक्ति/अभिकरण को एक पखवाड़े के भीतर उपयुक्त राशि लौटा दी जाएगी:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **निरस्तीकरण की तिथि** | **जब्त की जाने वाली राशि** |
| (क) | सभा (कन्वेंशन) केन्द्र सुविधाओं/अनावृत प्रदर्शनी स्थल के उपयोग की तिथि से 30 दिन पहले की पक्की बुकिंग के निरस्तीकरण के लिए | **अनुमानित सम्मेलन सेवाओं के वस्तु व सेवा कर सहित, निरस्तीकरण शुल्क के रूप में सम्मेलन सेवा शुल्क से 20% की कटौती कर ली जाएगी।**  |
| (ख) | सभा (कन्वेंशन) केन्द्र सुविधाओं/अनावृत प्रदर्शनी स्थल के उपयोग की तिथि से 15 दिनों से अधिक परंतु 30 दिनों से पहले की पक्की बुकिंग के निरस्तीकरण के लिए | **अनुमानित सम्मेलन सेवाओं के वस्तु व सेवाकर सहित, निरस्तीकरण शुल्क के रूप में सम्मेलन सेवा शुल्क से 50% की कटौती कर ली जाएगी।**  |
| (ग) | सभा (कन्वेंशन) केन्द्र सुविधाओं/अनावृत प्रदर्शनी स्थल के उपयोग की तिथि से 02 दिन से अधिक परंतु 15 दिन से पहले की पक्की बुकिंग के निरस्तीकरण के लिए | **अनुमानित सम्मेलन सेवाओं के वस्तु व सेवाकर सहित, निरस्तीकरण शुल्क के रूप में सम्मेलन सेवा शुल्क से 80% की कटौती कर ली जाएगी।**  |
| (घ) | सभा (कन्वेंशन) केन्द्र सुविधाओं/अनावृत प्रदर्शनी स्थल के उपयोग की तिथि से 02 दिन पहले की पक्की बुकिंग के निरस्तीकरण के लिए | **अनुमानित सम्मेलन सेवाओं के वस्तु व सेवाकर सहित, निरस्तीकरण शुल्क के रूप में सम्मेलन सेवा शुल्क से 100% की कटौती कर ली जाएगी।**  |

21. **वस्तु व सेवा कर**: **विज्ञान नगरी को एक बार अनुमानित राशि या अंतिम बिल पर जमा की गई वस्तु व सेवा कर की रकम, संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित कर दी जाएगी एंव कार्यक्रम के निरस्तीकरण/कटौती या स्थगन/पूर्वन के कारण उत्पन्न किसी भी परिस्थिति में वह राशि लौटाई नहीं जाएगी।**

22. सभा (कन्वेंशन) केन्द्र सुविधाओं/अनावृत प्रदर्शनी स्थल (ग्राउंड) के उपयोग के हेतु सेवा व अनुरक्षण शुल्क पूर्णतः ‘विज्ञान नगरी’ के पक्ष में जारी, कोलकाता में देय, डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से या बचत बैंक खाता नंबर- 8419101020050, कैनरा बैंक, विज्ञान नगरी शाखा, IFSC कोड-CNRB0008419, शाखा कोड-8419 में NEFT के द्वारा जमा किया जाना चाहिए।

23. सामग्रियों/बक्सों/सामानों को यदि कार्यक्रम के स्थल पर लाया जाता है तो उन सबकी विज्ञान नगरी द्वारा परिनियोजित सुरक्षा कर्मियों के द्वारा स्क्रीनिंग व जांच की जाती है एंव संबंधित चालानों की हस्ताक्षरित प्रति विज्ञान नगरी के सुरक्षा विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। कार्यक्रम के बाद प्रतिहस्ताक्षरित चालानों को गेटपास के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद जो भी सामग्री हों, उन्हें विज्ञान नगरी, कोलकाता के परिसर के अंदर रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद, विज्ञान नगरी किसी भी लावारिस सामान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

24. समारोह/ कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से कार्यरत कार्मिकों के लिए फोटो पहचान पत्र जारी किया जाना अनिवार्य है। ऐसे कार्मिकों को आयोजकों के द्वारा प्राधिकृत किया जाना है और सभी विवरणों के साथ ऐसे प्राधिकृत कार्मिकों की सूची कार्यक्रम की तिथि से कम से कम सात दिन पहले विज्ञान नगरी को प्रस्तुत की जानी है।

25. यहाँ किसी भी स्वत्वाधिकार के अतिलंघन की अनुमति नहीं है। किसी भी अतिलंघन का जोखिम एकमात्र आयोजक को उठाना पड़ेगा, विज्ञान नगरी को न तो जानकारी है और न ही उनके पास यह विश्वास करने का कोई तर्कसंगत आधार है कि किसी भी स्वत्वाधिकार का कोई उल्लंघन किया जाएगा। आयोजक इस लिहाज से विज्ञान नगरी को निरापद, हानिरहित रखेंगे एंव इसे हुई क्षति की पूर्ति करेंगे।

26. **कृपया ध्यान दें कि विज्ञान नगरी, कोलकाता के सभा (कन्वेंशन) केन्द्र की सुविधाओं के उपयोग के लिए नियम व शर्तें समय समय पर पुनरीक्षित किए जा सकते हैं और यह आयोजकों के लिए भी लागू होगा। सेवा व अनुरक्षण शुल्क के पुनरीक्षण एंव केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किसी सांविधिक कर के लगाए जाने पर, आयोजकगण, कन्वेंशन केन्द्र की सुविधाओं के वास्तविक उपयोग के समय प्रचलित दरों के आधार पर परिकलित अंतर-राशि के भुगतान के भागी होंगे।**

27. आयोजक, सभी कार्यक्रमों के दौरान इसे सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि संरक्षा एंव सुरक्षा के लिए मुख्य प्रेक्षागृह, लघु प्रेक्षागृह, संगोष्ठी हॉल के अंदर और बाहर के सभी प्रवेश व निकास द्वारों को निर्बाध रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त त्रिपाद के साथ वीडियो कैमरा सहित किसी भी विद्युतीय एंव अन्य उपकरण को मुख्य प्रेक्षागृह के पार्श्वपथ पर रखना वर्जित है। ये सभी वस्तुएँ मुख्य प्रेक्षागृह, लघु प्रेक्षागृह के अंदर, विज्ञान नगरी के प्राधिकृत कार्मिक के द्वारा दिखाए गए निर्दिष्ट स्थान पर रखी जानी हैं। मुख्य प्रेक्षागृह, लघु प्रेक्षागृह के प्रवेश व निकास द्वारों के निकट एंव पार्श्वपथ पर इन वस्तुओं को रखने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

28. थोक पार्किंग के मामले में कृपया अंग्रिम सूचना अग्रेषित की जाए एंव इस संबंध में पृथक रूप से संपूर्ण भुगतान किया जाना है।

29. **बुकिंग के लिए भुगतान :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (क) | उपयोग की तिथि से पूर्व तीन (3) माह के भीतर | कुल शुल्क का 100%।  |
| (ख) | उपयोग की तिथि से पूर्व तीन (3) महीने के बाद | कुल शुल्क का 60% एंव शेष राशि कार्यक्रम के 90 दिन पहले।  |

यदि ऊपर किए गए निर्धारण के अनुसार भुगतान का प्रेषण नहीं किया जाता है तो विज्ञान नगरी को बुकिंग निरस्त करने का पूरा अधिकार है।

मैंने क्रम संख्या 01 से 29 तक वर्णित उपयुर्क्त नियमों व शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है एंव स्वीकार कर लिया है।

|  |  |
| --- | --- |
| दिनांक: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| स्थान: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | समारोह के आयोजक के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, आधिकारिक रबर स्टांप सहित |